पत्रांक--जी / नि0सु0अ0--14--76 / 2013............................ /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव--सह--नियंत्री प्राधिकारी

सेवा में,

स्पीड पोस्ट

**Shri Debajit Choudhury**
S/o Lt. Shankar Narayan Choudhury
58/99, Prince Anwar Shah Road
Kolkata-700045.

पटना, दिनांक--............सितम्बर, 2016

विषयः-- बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के तहत राज्य में **NIS Management Pvt. Ltd.** निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु समर्पित आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिनांक--04.10.2013 समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के नियम 7(3) में निहित प्रावधान के अनुसार अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना से आपके द्वारा समर्पित प्रपत्र--V में अंकित कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थल की जाँच करायी गयी। अवर सचिव द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया कि उक्त पते पर न तो अभिकरण का कार्यालय है और न हीं प्रशिक्षण केन्द्र। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक--8501 दिनांक--03.08.2015 द्वारा आपके कारण पृच्छा की गयी कि आवेदन प्रपत्र--V में असत्य सूचना देने के कारण क्यों नहीं अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन दिनांक--04.10.2013 अस्वीकृत कर दिया जाए ?

आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक--29.10.2015 में विषयांकित अभिकरण के कार्यालय--सह--प्रशिक्षण स्थल के पते में परिवर्तन की सूचना दी गयी तथा उक्त संदर्भ में संशोधित प्रपत्र--V भी समर्पित किया गया। आपसे प्राप्त संशोधित प्रपत्र--V के संदर्भ में विभागीय पत्रांक--1491 दिनांक--17.02.2016 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रशिक्षण सुविधा स्थल की जाँच पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी से कराकर प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध करने किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक--315 / निजी सुरक्षा दिनांक--28.07.2016 के माध्यम से प्राप्त अपर पुलिस अधीक्षक, सदर, पटना के प्रतिवेदन में आपके द्वारा संशोधित प्रपत्र--V की कंडिका--14 में उल्लिखित प्रशिक्षण संस्थान कीर्तिका एकैडमी प्रा0 लि0 '58 / 114, प्रिंस अनवर साह रोड, कोलकत्ता' में अवस्थित बताया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा संशोधित प्रपत्र--V की कंडिका--14 में उल्लिखित प्रशिक्षण संस्थान कीर्तिका एकैडमी प्रा0 लि0 बिहार राज्य में अवस्थित नहीं है।

अतः अधिनियम की धारा--7(4) एवं बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली के नियम 7(3) में निहित प्रावधान के तहत प्रस्तावित प्रशिक्षण की सुविधा बिहार राज्य में न होने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन दिनांक--04.10.2013 **अस्वीकृत** किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0 / --
सरकार के विशेष सचिव
--सह--नियंत्री प्राधिकारी

P.T.O

D/1/Security Agency/Draft

ज्ञापांकः–.............................. पटना, दिनांक–............सितम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांकः–8750 पटना, दिनांक–16 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.09.16

सरकार के विशेष सचिव

–सह–नियंत्री प्राधिकारी

16/9

D/Y/Security Agency/Draft